ट्रस्ट बचत एवं ऋण समूहों के लिये दिषा निदेष –

सत्य

सम्मान

एकता

स्थिरता

रूपांतरण

लक्ष्य – स्थानीय समूहों को अपने स्वयं के संसाधनों से बचत करने के लायक बनाना जिससे कि वह :

अ) सदस्य अपनी कार्यपूंजी अथवा आय वर्धक गतिविधि को इस्तेमाल किये बिना किसी भी आकस्मिक समस्या का सामना कर सकें।

और अथवा

ब) सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराना जिससे कि वो उसका इस्तेमाल किसी आय वर्धक परियोजना को प्रारंभ करने, बढ़ाने अथवा बहु विधिकरण करने में कर सकें।

प्रतिरूप (माडल) : समूह अपने स्वयं की बचत के द्वारा एक निधि का निर्माण करेंगे जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों को ऋण मिल सकेगा। विश्वास, परस्पर प्रोत्साहन एवं जबावदेही के आधार पर समूह का निर्माण होगा। समूह के सदस्यों को एक दूसरे के प्रति ईमानदारी, खुलापन एवं कड़े परिश्रम के लिये प्रतिबद्ध होना चाहिये।

दिषा निर्देष :

(निम्नलिखित दिशा निर्देशों का इस्तेमाल ट्रस्ट समूह स्थापित करते समय सदस्यों के द्वारा सुझाव के तौर पर करना चाहिये। इसमें कोई भी परिर्वन अथवा नई बात का जोड़ा जाना सभी सदस्यों के लोकतांत्रिक एवं सामूहिक राय से होना चाहिये।)

1. समूह के पास एक अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, (पदासीन सदस्य) तथा अन्य सदस्य होने चाहिये। पदाधिकारियों की नियुक्ति छः माह के लिये बहुमत के आधार पर होनी चाहियें। परन्तु यह नियुक्ति एक नियमित समूह की बैठक में जबकि कम से कम छः सदस्य उपस्थित हों करना चाहिये। एक समूह में कम से कम 7 और अधिकतम 30 सदस्य होने चाहियें। यदि और भी व्यक्ति समूह से जुड़ना चाहें तो एक नये समूह की अथवा पुराने समूह के विभाजन की संभावना को तलाशें।

2. सभी सदस्यों का पंजीकरण 50 रूपये अथवा समूह द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान कर होना चाहिये। इन पैसों का इस्तेमाल बही खाता रखने में करना चाहिये। हर समूह के पास अपने सदस्यों की बचत का लेखा–जोखा रखने के लिये एक छोटी सी पासबुक तथा अन्य बही होनी चाहियें

3. समूह को अपने निर्णय के अनुसार सप्ताह में एक बार अथवा दो सप्ताह में एक बार प्रशिक्षण तथा आपसी प्रोत्साहन के लिये मिलना चाहिये। सचिव द्वारा महत्त्वपूर्ण निर्णयों को लिखित रूप में लिखना चाहिये।

4. समूह के हर सदस्य को 50/– के रूप में एक छोटी सी बचत राशि जमा करनी चाहिये (यह राशि, समूह के द्वारा जैसी भी निर्धारित की जाये) यह राशि समूह की हर बैठक में जमा की जानी चाहिये तथा इसका लेखा, समूह की बही तथा सदस्यों की व्यक्तिगत बही में रखा जाना चाहिये।

5. बचत को रखने के लिये बैंक में एक खाता खोला जाना चाहिये। अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को सामूहिक रूप से इस खाते का संचालन करना चाहिये। खाते में दर्ज शेष राशि की सूचना प्रत्येक बैठक में दी जानी चाहिये।

6. समुचित राशि की बचत होने पर सदस्य ऋण के लिये समूह में आवेदन कर सकते हैं, परन्तु यह ऋण राशि समूह प्रारंभ होने तक अधिकतम 10,000 हो सकती है (इसके बाद अधिकतम राशि बढ़ाने के लिये समूह के सदस्य निर्णय ले सकते हैं)। परियोजना ऋण के लिये आवेदन करने से पहले सदस्यों का तीन महीने तक निरंतर बचत करने का इतिहास होना आवश्यक है।

7. ऋण आवेदन के लिये आवश्यक है कि एक ऐसी आय वर्धक परियोजना हो जिसमें कि नकदीय प्रवाह का पुर्वानुमान हो (जब तक कि ऋण आवेदन किसी पारिवारिक स्वास्थ्य कारण, अथवा कोई आपात स्थिति के लिये ना हो)। इस योजना की जाँच, बदलाव (यदि आवश्यक हो) एवं अनुमोदन एक अधिकारी व समूह के किसी सदस्य द्वारा किया जाना चाहिये।

8. इस ऋण की मंजूरी के लिये नियमित समूह की बैठक में साधारण बहुमत मतदान के द्वारा (50% से अधिक इसके पक्ष में हो) होना चाहिये जबकि बैठक में 6 सदस्य उपस्थित हों। यदि ऋण किसी आपातकालीन स्थिति के लिये लिया जा रहा है एवं अगली बैठक का इंतज़ार नहीं किया जा सकता है तब दो अधिकारी एवं एक सदस्य मिलकर ऋण मंजूरी का निर्णय ले सकती है।

9. यदि ऋण को मंजूरी नहीं मिली है तो आवेदक एक महीने के बाद पुनः आवेदन कर सकता है।

10. समूह के कोष में राशि कम होने की वजह से यदि ऋण का आवेदन नामंजूर हो गया है और परियोजना मंजूर हो गयी है तो प्रतिक्षा सूची के क्रमानुसार पहले आओ पहले पाओ की निति के आधार पर ऋण मंजूर होना चाहिये।

11. यदि कमज़ोर योजना एवं अव्यवहारिक प्रस्तावों के कारण ऋण नामंजूर कर दिया गया है तो अन्य सदस्य योजना के प्रस्ताव को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं।

12. ऋण समझौते पर ऋण आवेदक, एक पदाधिकारी एवं समुदाय के किसी माननीय व्यक्ति या अधिकारी का गवाह के रूप में हस्ताक्षर होना चाहिये। (निर्देशिका 19 देखें)

13. ऋण वापसी सूची पत्र तैयार किया जाये जिसमें ऋण की राशि व ऋण अदायगी की शर्तें हो (जिसमें ऋण अदायगी प्रारंभ होने से पहले किसी भी तरह के विलंब का भी विवरण हो) एवं इसकी प्रतियाँ सचिव एवं आवेदक (आवेदकों) को प्रदान की जाये।

14. समूह के बचत खाते से ऋण की राशि निकालकर ऋण आवेदक को दी जानी चाहिये। इस हस्तांतरण के पश्चात् एक अधिकारी व ऋण आवेदक के हस्ताक्षर लें।

15. ऋण वापसी का लेखा अधिकारी (अधिकारियों) एवं आवेदक (आवेदकों) द्वारा रखना चाहिये।

16. प्रत्येक माह के अंतिम दिन में शेष राशि पर एक 1% ब्याज निर्धारित किया जायेगा एवं अगले ही माह के प्रथम दिन की शेष राशि के साथ इसे जोड़ा जायेगा। ब्याज हमेशा शेष राशि पर ही जोड़ा जायेगा। ऋण की समय पर वापसी से ब्याज की राशि घट जायेगी जबकि वापसी में देरी होने से यह प्रत्येक माह शेष राशि में जोड़ी जायेगी।

17. ऋण बकायेदार (डिफॉल्टर) समूह के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं एवं उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। बकायेदारी तब मानी जाती है जब दो महीने से अधिक समय बीतने पर भी ऋण वापसी की राशि जमा नहीं की गई हो।

18. बकायेदारों को कुछ निषेधों को मानना होगा : ऋण की मूल राशि चुकाने के बाद वे अगले तीन महीने के लिये किसी भी तरह के ऋण आवेदन के योग्य नहीं होंगे एवं किसी भी तरह के मताधिकारों का प्रयोग नहीं कर पायेगें। यदि परियोजना ऋण या आपात ऋण की स्थिति में चार महीने तक ऋण वापसी नहीं की गई है तो सदस्य के बचत खाते से बकाये की राशि जब्त की जायेगी, यदि कुछ राशि शेष है तो वह राशि सदस्य को दी जायेगी एवं सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी।

19. स्थानीय सामुदायिक माननीय या अधिकारी को समूह के अस्तित्व की सूचना होनी चाहिये एवं वे समझौतों पर मुहर लगायें। यदि कोई ऐसा मतभेद है जिसे समूह आसानी से नहीं सुलझा पा रहा तो स्थानीय सामुदायिक माननीय या अधिकारी को मध्यस्थता के लिये निवेदन करें।

20. समूह के प्रारंभ होते समय ही उसके नियम निर्धारित हो जाये चाहिये।

ट्रस्ट के बचत एवं ऋण समूह **ऋण समझौता**

स्थान ..... ऋण संदर्भ क्रमांक ..... दिनांक .....

मै ..... इस बचत समूह से ..... ब्याज दर पर ..... .% की प्रति माह

कार्य हेतु ..... .

रूपये का ऋण लेने के लिये समहम हूँ।

मैं इस ऋण की किश्त का भुगतान सहमति पत्र के अनुसार निर्धारित तिथि पर करूँगा और समूह को तरक्की व बढ़ोतरी की सूचना देता रहूँगा।

हस्ताक्षर ..... ऋण प्राप्तकर्त्ता (पूरा नाम) .....

हस्ताक्षर ..... ऋण प्राप्तकर्त्ता (पूरा नाम) .....

हस्ताक्षर ..... समूह के अधिकारी (पूरा नाम) .....

हस्ताक्षर ..... समूह के सदस्य (पूरा नाम) .....

समुदाय के माननीय/अधिकारी के हस्ताक्षर या उनकी मुहर

यह ऋण .....% ब्याज प्रत्येक माह की दर से पूरा वापस किया जा चुका है।

दिनांक .....

प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर .....

अधिकारी के हस्ताक्षर .....

ट्रस्ट के बचत एवं ऋण समूह **ऋण वापसी का सूची पत्र**

ऋण संदर्भ क्रमांक .....

ऋण प्राप्त किया गया (दिनांक) ..... राशि .....

ऋण का भुगतान .....भारतीय मुद्रा.....प्रतिमाह ब्याज दर प्रतिशत ....प्रति माह के शुरू की तिथि.....को करूँगा।

प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर .....अधिकारी के हस्ताक्षर .....

वापसी की देय तिथि	वापसी की वास्तविक तिथि	भुगतान की गई राषि	प्राप्त करने वाले समूह अधिकारी के हस्ताक्षर	% की दर से इस माह की ब्याज राषि	बकाया ऋण राषि

उदा0 1 मई, 2013 को 12,000 रूपये का ऋण 1% प्रतिमाह की दर से दिया गया। इस ऋण का भुगतान 6 माह में 2070 रूपये की मासिक किश्त के द्वारा किया जायेगा तथा आखरी किश्त 2074 की होगी इस प्रकार पुर्नभुगतान के रूप में कुल राशि 12424 रूपये होगी।

माह	वापसी की देय तिथि	वापसी की वास्तविक तिथि	भुगतान की राशि	प्राप्त करने वाले समूह अधिकारी के हस्ताक्षर	1% की दर से इस माह का ब्याज	बकाया शेष राशि
1	31.05.13	—	0	—	120	12120
2	30.06.13	30.06.13	2070	ग्गगगगगगगगग	121	10171
3	31.07.13	31.07.13	1500	ग्गगगगगगगगग	102	8773
4	31.08.13	31.08.13	2070	ग्गगगगगगगगग	88	6791
5	30.09.13	—	0		68	6859
6	31.10.13	31.10.13	2000	गगगगगगगगगग	69	4928

कई बार भुगतान ना किये जाने अथवा उचित तरह से भुगतान ना होने के कारण 6 माह के समझौते के अंत में केवल 7,640 रूपये का भुगतान किया गया है एवं बकाया राशि ब्याज जोड़ने के बाद 4,928 रूपये हैं।